ANNUAL REPORT 2011-12

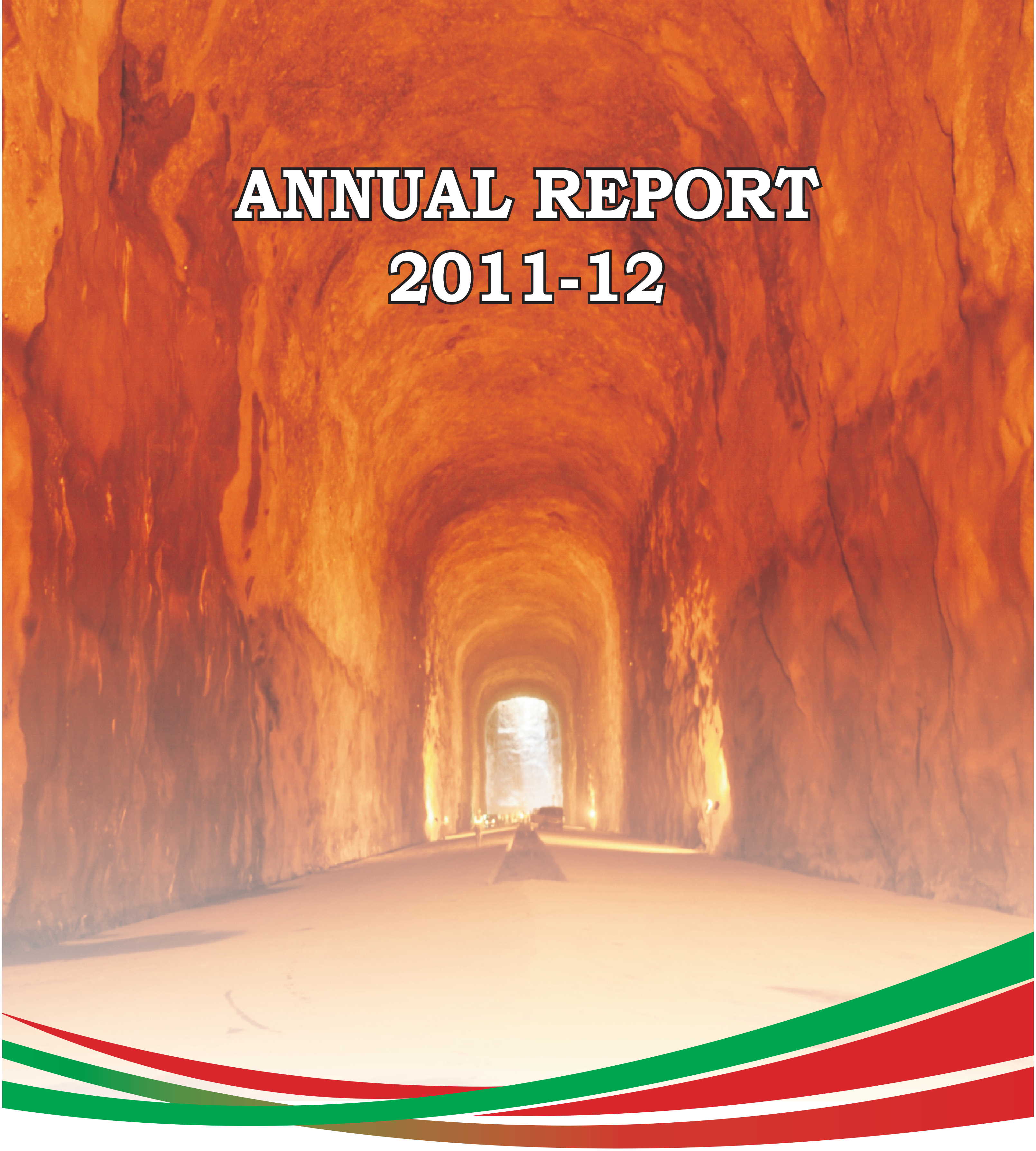

ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

बोर्ड के निदेशक
Board of Directors

Shri S. Sundareshan
Chairman
(till 02.05.2011)

Shri G.C. Chaturvedi
Chairman
(w.e.f. 11.05.2011)

Shri Sudhir Bhargava
Director

Dr. Subhash Chandra Khuntia
Director
(w.e.f. 09.08.2012)

Shri Arun Kumar
Director-Incharge

Shri L. N. Gupta
Director

विषय सूची
CONTENTS

1.	बोर्ड के निदेशक	2
	Board of Directors	35
2.	निदेशक रिपोर्ट	4
	Directors' Report	37
3.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	11
	Auditors' Report	43
4.	वार्षिक लेखे 2011-12	15
	Annual Accounts 2011-12	47
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	33
	Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	65

बोर्ड के निदेशक

श्री जी सी चतुर्वेदी	अध्यक्ष	(11 मई 2011 से)
श्री एस सुन्दरेशन	अध्यक्ष	(02 मई 2011 तक)
श्री सुधीर भार्गव	निदेशक	
डा0 एस. सी. खुंटिया	निदेशक	(09 अगस्त 2012 से)
श्री अरुण कुमार	प्रभारी–निदेशक	
श्री एल एन गुप्ता	निदेशक	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री राजन के पिल्लै

कंपनी सचिव
श्रीमती सुधा वेंकट वरदन

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी,
चार्टेड एकाउंटेन्ट्स
फ्लेट नं. 303, डीडीए एचआईजी मल्टी स्टोरी, ब्लाक 1, रानी झाँसी काम्प्लेक्स
देश बंधु गुप्ता रोड़, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110 055

बैंकर्स

बैंक ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली ओवरसीज शाखा,
विजया बिल्डिंग, 17 बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली 110 001

कार्पोरेशन बैंक
एम–41 कनॉट सर्कस
नई दिल्ली 110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़, नई दिल्ली–110 001

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा– 201301, उ.प्र
फोन : 91–120–2594641, फैक्स : 91–120–2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय :
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्–530 005
फोन : 0891-2574059, फैक्स : 0891-2573503

मैंगलोर परियोजना कार्यालय :
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ, मैंगलोर–574 509
फोन : 0824-3006100, फैक्स : 0824-3006111

पादुर परियोजना कार्यालय :
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106,
कर्नाटक
फोन : 0820-2576683, फैक्स : 0820-2576629

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड

बोर्ड के निदेशकों की ओर से, मैं कंपनी की कार्यप्रणाली पर 31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखा-विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

कंपनी :– एक परिदृश्य

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल) दिनांक 16 जून, 2004 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में निगमित हुई। कंपनियों के रजिस्ट्रार से कार्य आरंभ करने का प्रमाण–पत्र दिनांक 17.03.2006 को प्राप्त हुआ। कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई 2006 को अधिगृहित कर ली गई है। दिनांक 31.03.2012 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी तथा निर्गमित /अभिदत्त / प्रदत्त पूंजी क्रमशः 2,397 करोड़ और 1450.99 करोड़ रुपये है (81.12 करोड़ रुपये प्रलंबित आबंटन को छोड़कर)।

कंपनी का मुख्य उद्देश्य

- कच्चे पदार्थ का स्वामित्व और अपने तेल की सूची पर नियंत्रण करना और उसके रिलीज का समन्वय एवं स्टॉक का प्रतिस्थापन सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और
- भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवालों, गोदाममालिकों, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव्स, मिश्रणों, तैयारियों, और उसके उत्पादों संबंधी व्यवसायों को संपादित करना है ।

कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी को 5.33 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक कच्चे तेल क्षमता वाले भंडार स्थापित करने का आदेश हुआ है। कार्यनीतिक आरक्षितियों के निर्माण हेतु चुने गए स्थान विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) तथा पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। सितंबर 2005 के मूल्यानुसार कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूंजीगत लागत लगभग 2763 करोड़ रुपये आंकी गई है इसमें अनुमोदित 1038 करोड़ रुपये विशाखापट्टनम परियोजना की संशोधित लागत है एवं सितंबर 2005 के मूल्यों पर मैंगलोर व पादुर परियोजना लागतें भी शामिल हैं। मैंगलोर व पादुर की परियोजना लागतें संशोधनाधीन हैं। तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) निर्माण लागत के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा। इन निमार्ण लागतों में कच्चे तेल की कीमत शामिल नहीं है जो संबंधित कैवर्नों के भरे जाने के लिए तैयार होने पर सरकार द्वारा तय किए गए वित्तीय पैटर्न पर प्रचलित बाजार दरों पर जुटाया जाएगा। सरकार ने वार्षिक योजना 2012–13 में कच्चा तेल भरने की लागत की दिशा में 1 करोड़ रूपये का टोकन प्रावधान किया है।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अनेक कदम उठाए हैं और परियोजनाओं की परियोजनावार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहाकार (पीएमसी) के रुप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक 68 एकड़ भूमि में से 38 एकड़ भूमि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ले ली गई है तथा शेष भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वैधानिक निर्बाधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। अनुपूरक स्थल जांच पड़ताल के बाद, अतिरिक्त क्षमता की कम सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है और सरकार से इसका अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है।

भूमिगत कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शटन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2012 तक 18.94 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। भूतल से ऊपर की भूमि संबंधी कार्य दिनांक 30.11.2009 को मैसर्ज आईओटीआईईएसएल को दिया गया था। 31.03.2012 तक क्रूड़ सबमर्सिबिल पंप एवं सीपेज वाटर पंप आदि जैसे प्रमुख संवेदनशील मद प्राप्त कर लिए गए हैं। कंट्रोल रूम, सब–स्टेशन, प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बोयलर एवं नाइट्रोजन टैंक खड़े कर दिए गए हैं। पाइप रैक खड़े किए जा रहे हैं। दिनांक 31.03.2012 को परियोजना की कुल प्रगति 87.2 प्रतिशत है। परियोजना के यांत्रिक (मैकेनिकल) कार्य को पूरा करने की प्रत्याशित तिथि अक्टूबर, 2012 है और चालू करने की तिथि अप्रैल 2013 है। अप्रैल, 2011 में कैवर्न ए 1 में पहाड़ी एक चट्टान के गिरने की घटना से कार्य के पूरा करने के निर्धारित समय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मरम्मत/पूर्व अवस्था में लाने संबंधी कार्य चल रहे हैं और दिसंबर, 2012 तक पूरा होने की आशा है।

विशाखापटनम् साईट पर पाईप रैक निर्माणाधीन

2. मैंगलोर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है। मैंगलोर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 100 एकड़ भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहण कर ली गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली गई है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है ।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्स एस के इंजिनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटी) के माध्यम से किया जा रहा है। 31 मार्च, 2012 तक 22.65 लाख क्यू. मीटर खुदाई कार्य में से कुल 9.73 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो गया है (जो टोप हैडिंग के कुल 8.6 किलो मीटर सुरंग कार्य में से 8.4 किलो मीटर सुरंग कार्य के अनुरूप है)। नियोजित 232.4 मीटर में से कुल 187 मीटर साफ्ट का कार्य पूरा कर लिया गया था। भूमि के ऊपर का कार्य मैसर्ज पुंज लायड को दिनांक 22 जुलाई, 2011 को 329.979 करोड़ रूपये की कुल लागत पर दिया गया और सितंबर, 2013 तक मैकेनिकल कंपलिशन प्राप्ति हेतु 26 महीने का समय दिया। ठेकेदार ने स्थल का ईस्तेमाल करना आरंभ कर दिया और महत्वपूर्ण उपकरण लगाए गए। साइट ग्रेडिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। 31.03.2012 तक परियोजना की कुल प्रगति 47.9 प्रतिशत रही।

एमएसईजैडएल के भीतर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) के सह–विकासक के रुप में मैंगलोर परियोजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन 12 अगस्त, 2010 को प्राप्त हो गया था। आईएसपीआरएल ने एफटीडब्ल्यूजैड होने के परिणाम स्वरूप उपच्यगत कर लाभ प्राप्त करना आरंभ कर दिया है।

मंगलौर कैवर्न में टॉप हैडिंग की खुदाई

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2008 में कर्नाटक सरकार पादुर/हेरुरु ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर चुकी है। पादुर में लगभग 182 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के माध्यम से किया जा रहा है और जिसमें से 138.57 एकड़ भूमि का कब्जा 31 मार्च, 2012 तक अपने अधिकार में ले लिया था।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों अर्थात भाग ए व भाग बी में बांटा गया है । भाग ए का कार्य मैसर्ज एचसीसी को 374.66 करोड़ रुपये में तथा भाग बी का काम मैसर्ज एसकेईसी–केसीटी जेवी को 375.92 करोड़ रुपये में दिनांक 29.12.2009 को 36 माह की अवधि में पूरा करने के लिए सौंपा गया। चूंकि, 29 मई, 2010 को केआईएडीबी द्वारा जमीन आईएसपीआरएल को सौंपी गई और इसलिए निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने की शून्य तिथि 29 मई, 2010 मान ली गई। भूमि के ऊपर कार्य मैसर्ज लिंडे इंजिनियरिंग को दिनांक 11.11.2011 को 354.25 कारोड़ रूपये के कुल मूल्य पर दिया गया। मैकेनिकल कंपलिशन जनवरी 2014 निर्धारित किया गया है। 31.03.2012 तक परियोजना की कुल प्रगति 44.9 प्रतिशत रही।

मैंगलोर–पादुर पाइपलाइन के लिए प्रयोग के अधिकार (आरओयू) अर्जन हेतु, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आरओयू अर्जन का काम केआईएडीबी के द्वारा किया जा रहा है और जनवरी 2011 में 3(1) अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्येक भूस्वामी को सूचना भेज दी गई है और 8 गांवो में सुनवाई आयोजित की गई जिसके लिए 6(1) अधिसूचना जारी करने हेतु भेज दी गई है। बाकी गांवो के लिए, कार्य प्रगति पर है।

4. स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम का चरण II

जुलाई, 2011 में स्ट्रेटेजिक भंडारण कार्यक्रम के चरण II के लिए डीएफआर की तैयारी का कार्य ईआईएल को दिया गया था। संभाव्यता स्तर के आधार पर चार साइटों का पता लगाया गया जो निम्न प्रकार है:

1. पादुर 5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)
2. चंडीखोल 2.5 एमएमटी (भूमिगत रॉक कैवर्नस)
3. बीकानेर 2.5 एमएमटी (साल्ट कैवर्नस)
4. राजकोट 2.5 एमएमटी (भूमिगत कन्क्रीट टेंकस)

स्ट्रेटेजिक भंड़ारणों के चरण I के अधीन तीन लोकेशनों पर भूमिगत रॉक कैवर्नस निर्माणाधीन हैं और डीएफआर से कार्य प्रारंभ करने और परियोजनाओं के आगे के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी जानकारी अब ईआईएल के पास उपलब्ध है। अन्य दो प्रौद्योगिकियों के लिए अर्थात साल्ट कैवर्नस और भूमिगत कंक्रीट टैंक्स, नई प्रौद्योगिकियां होने के नाते देश में अपेक्षित ज्ञान उपलब्ध नहीं है, अतः विदेशी बैक-अप सलाहकार की सेवांए आवश्यक हैं। बीकानेर स्थित साल्ट कैवर्नस के लिए बैक-अप सलाहकार हेतु कार्य मैसर्ज दीप (DEEP) अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग, जर्मनी को सौंपा गया है।

राजकोट में, कच्चे तेल का भंडारण डबल रोकथाम (containment) सिद्धांत के अधीन भूमिगत कंक्रीट टैंकों में होगा जो देश में पहली बार कार्यान्वित होगा। हालांकि, इस तरह की तकनीक 6 एमएमटी कच्चे तेल हेतु साउथ अफ्रीका गणराज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई है और पिछले 30 वर्षों से प्रचालित है। यह तकनीक केवल दो अन्य देशों ईरान और जापान में लागू है। अध्ययन के भाग के रूप में, मूल डिजाइन की समीक्षा के लिए विदेशी बैकअप सलाहकार लगाना अपेक्षित होगा और डीएफआर ईआईएल द्वारा तैयार की जाएगी।

पादुर को छोड़कर, जहां गांववसियों ने आंदोलन किया था और जांच सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से की गई थी, शेष तीन साइटों पर भू- तकनीकी जांच कार्य 31.03.2012 तक पूरा किया जा चुका है।

वित्तीय विवरणों मे पहले से बताई गई घटनाओं के अलावा दिनांक 31.03.2012 और निदेशक की रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैः

i. रूपये 3.76 करोड़ के मूल्य का मैसर्ज इन्प्रोक्स इंजिनियर्स इंडिया प्रा. लि. को पादुर में डाइवर्जन रोड के लिए आदेश देना (आदेश अप्रैल 2012 में दिया गया)।

ii. विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं के उपयोग के लिए विस्तृत व्यापार मॉडल की तैयारी और दिलचस्पी की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने हेतु मैसर्ज एसबीआई कैप्स को काम पर लगाना। मैसर्ज एसबीआई कैप्स ने रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।

iii. मैंगलोर और पादुर में रॉक मलवे का निपटान अक्टूबर, 2012 से प्रारंभ कर दिया गया है।

iv. यूएस डालर 220000 के मूल्य आदेश पर राजकोट के लिए डीएफआर की तैयारी हेतु विदेशी बैक-अप सलाहकार के रूप में मैसर्ज थॉमसन वैन इक इंटरनेशनल (पीटीवाई) लि. साउथ अफ्रीका को लगाया गया है (आदेश जुलाई 2012 में दिया गया)।

v. चंडीखोल और बीकानेर के चरण II के लिए डीएफआर ईआईएल द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अभी इनका परिक्षण किया जा रहा है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :

क्र.सं	विवरण	आंकड़े रूपयों में		तुलन–पत्र के संदर्भ में
(ए)	1 अप्रैल 2012 को कार्य में प्रगति का आरंभिक शेष		9,04,09,59,867	**नोट 9 बी (i) -** 31.03.2011 को अंतिम शेष
(बी)	वर्ष के दौरान प्रचालन- पूर्व व्यय		5,83,93,73,870	**नोट 9 बी (i) -** 31.03.2012 के अंतिम शेष तथा 31.03.2011 के अंतिम शेष के बीच अंतर
(सी)	**स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि**		61,05,87,068	**नोट 9 ए -** वर्ष के दौरान निवल वृद्धि
	स्थायी परिसंपत्ति - भूमि	61,04,62,933		
	अन्य स्थायी परिसंपत्ति	1,24,135		
(डी)	निवल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां {(i)- (ii)}		7,68,07,545	
	(i) गैर - मौजूदा परिसंपत्तिया	39,12,54,415		**नोट 10**
	(ii) गैर - मौजूदा देयताएं	31,44,46,870		**नोट 5**
(ई)	निवल मौजूदा परिसंपत्तियां {(i)- (ii)}		(1,18,77,95,965)	
	(i) मौजूदा परिसंपत्तियां	48,12,97,332		**तुलन पत्र -** मौजूदा परिसंपत्तियां
	(ii) मौजूदा देयताएं	1,66,90,93,297		**तुलन पत्र -** मौजूदा देयताएं
(एफ)	संचित हानि		(11,67,49,848)	**नोट 4 -** संचित हानि
कुल खर्चे (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)			**14,26,31,82,537**	

कंपनी भारत में विभिन्न लोकेशनों पर विकसित सुविधाओं में कच्चे तेल के लिए वेयरहाउसिंग सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी जनवरी 2011 में सेवा कर प्राधिकरण में पंजीकृत की गई और इसलिए, सेनवेट क्रेडिट की पात्र है। एक प्रमुख सलाहकार की राय के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने रूपये 46,94,60,688 की सेनवेट क्रेडिट रकम (31 मार्च 2010 तक रूपये 24,99,00,000 को मिलाकर) क्रेडिट की थी। वर्ष के दौरान, कंपनी ने दिनांक 31.3. 2012 को रूपये 38,07,76,770 की सेनवेट क्रेडिट योग्य रकम पुनः परिकलित की और खातों में दर्ज की और रूपये 8,38,51,588 की सेनवेट क्रेडिट रकम को खातों में रिवर्स किया। लेखा बहियों के साथ मिलान करने के लिए सेवा कर रिर्टन संशोधित की जानी बाकी है। दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना संख्या 3/2011 जिसके द्वारा वाणिज्यिक एवम औधोगिक निर्माण सेवायें सेनवेट क्रेडिट के लिये आयोग्य कर दी गई 'के बाद, कंपनी ने परियोजनाओं की स्थापना के लिए निर्माण गतिविधियों हेतु सेनवेट क्रेडिट दावा करना अप्रेल 2011 से बंद कर दिया।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्ज रस्तोगी नारायण एंड कंपनी, चार्टेर्ड एकाउटेंट्स ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की रिपोर्ट दी है, जो इसके साथ संलग्न है।

सी एंड ए जी ने, वर्ष समाप्ती 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 1 टिप्पणी की है। प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ

सी एंड ए जी की टिप्पणियों को यहां संलग्न किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व्यय पर कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 217 (1) के अंतर्गत रिपोर्ट :

चूंकि कंपनी ने अभी तक वास्तविक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, अतः ऊर्जा शक्ति, ईंधन खपत तथा उत्पादन पर प्रति युनिट खपत से संबंधित सूचना शून्य है। समीक्षा के अधीन रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन / व्यय नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) तथा उसके अधीन निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों की विवरण संबंधी सूचना शून्य है ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि :

1. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को बनाते हुए लेखों के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है ।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना तथा उन्हें अनवरत लागू किया और ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य प्रणाली पर एक सत्य व स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत हो ।

3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखे 'गोइंग कंर्सन' के आधार पर तैयार किए थे ।

निदेशक मंडल

वर्तमान में आईएसपीआरएल बोर्ड में 5 अंश कालिक गैर–कार्यपालक निदेशक (पदेन) हैं जो इस प्रकार हैं:–

1) श्री जी सी चतुर्वेदी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) – अध्यक्ष

2) श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

3) डा एस सी खुंतिया, अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

4) श्री अरूण कुमार, सचिव, ओआईडीबी – प्रभारी निदेशक

5) श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), एमओपीएंडएनजी – निदेशक

1 अप्रैल 2011 से कंपनी के निदेशकों में निम्नानुसार बदलाव हुआ है :

1) श्री एस सुन्दरेशन, अध्यक्ष – (02.05.2011 तक)

2) श्री जी सी चतुर्वेदी, अध्यक्ष – (11.05.2011 से)

3) डा. एस सी खुंटिया, निदेशक – (9.8.2012 से)

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0/–
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

दिनांक : 26.11.2012
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों को

हमने इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखों एवं नकद प्रवाह विवरणी का लेखा परीक्षण किया। कंपनी प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा कार्य अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

भारत में प्रचलित मान्य लेखा मानकों के आधार पर हमने लेखा परीक्षा की। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि लेखा परीक्षा का विनियोजन व निष्पादन इस तरह से करें ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि वित्तीय ब्यौरे आर्थिक त्रुटि रहित है। लेखा परीक्षा का तात्पर्य जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में प्रभारित राशि तथा इसके खुलासे के सन्दर्भ में अपेक्षित प्रमाण की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करने के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त विचार का उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी के (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 4 व 5 के उल्लिखित विषयों पर अपना वक्तव्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं।

2. उपरोक्त अनुलग्नक (1) में दिए गए अपने वक्तव्यों के सन्दर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

    i. हम वे सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थी ।

    ii. जैसाकि इन पुस्तिकाओं की जॉच से हमें प्रतीत हुआ, हमारे मत में कानून की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी की लेखा–पुस्तिकाएं रखी गई हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए उन शाखाओं से उचित व पर्याप्त विवरण प्राप्त कर लिया गया है जिनका हमने मुआयना नहीं किया था।

    iii. इस रिपोर्ट में प्रदत्त तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे का विवरण लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

    iv. हमारे विचार से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्ति अधिकारियों (संदर्भ सं. 14,15) द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेखा मानक – 15 द्वारा अपेक्षित सेवा निवृति हितलाभ के अप्रावधान को छोड़कर, इस रिपोर्ट में प्रदत्त कंपनी का तुलन पत्र का विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लेखित मान्य लेखा नीतियों के अनुरूप है। अप्रावधान प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

    v. कंपनी कार्य विभाग (डिपार्टमैंट ऑफ कंपनी अफेयर्स) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–जीएसआर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) के तहत प्रकटन की आवश्यकता नहीं है ।

    vi. हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे लेखा नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों के साथ,सिवाय

नोट संख्या 14.8 के अधीन 94 लाख रूपये की स्टांप ड्यूटी के अग्रिम भुगतान जिसका हमारी राय में ज्यादा भुगतान हुआ है, क्योंकि इसका भुगतान प्राधिकृत पूंजी की बजाय जारी और निर्धारित पूंजी पर देय है।

नोट संख्या 14.11, जो सेवा कर के पंजीकरण से पूर्व अवधि में सेनवेट क्रेडिट की पात्रता के संबंध में, अग्रणी परामर्शदाता की राय के आधार पर, चालू परिसंपत्तियों के ओवरस्टेटमैंट और पूंजी कार्य प्रगति पर है, का अंडरस्टेटमैंट होना तथा इस बाबत प्रबंधन, द्वारा राशि का

आंकलन न होना और लेखा खातों के साथ सेवा कर रिटर्न का न मिलना इसके प्रभाव का सुनिश्चित न होना,

कंपनी अधिनियम 1956 की अनिवार्यताओं के अनुसार जानकारियां देते हैं तथा ये भारत में स्वीकृत सामान्यतः लेखा नीतियों के अनुसार सही स्थिति और समुचित तस्वीर प्रस्तुत करतें हैं:

(क) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष को कंपनी के व्यापार के तुलन पत्र के बारे में, और

(ख) उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ तथा हानि लेखे के बारे में,

(ग) उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह हेतु नकद प्रवाह विवरणी के बारे में।

कृते **रस्तोगी नारायण एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008775 एन

ह0/–
(शान्ति नारायण)
साझेदार
एम.न. 087370

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2012

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

(31 मार्च 2012 वर्ष को समाप्त, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के सदस्यों के लिए, हमारी सम तिथि की रिपोर्ट का पैरा 1 देखें)

1. क) कंपनी ने अपनी स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रस्थिति को छोड़कर जिसे रजिस्टर में अद्यतन कर लिया है, संख्यात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते अभिलेखों को सही ढंग से रखा हुआ है।

   ख) वित्त वर्ष के अंत में स्थाई परिसंपत्तियां प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांची गई है। हमारे विचार में कंपनी के आकार तथा स्थाई परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता यथोचित नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां नहीं पाई गई।

   ग) हमारे विचार में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है।

2. क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।

   ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है।

   तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद (iii) (b), (iii) (c),(iii) (d), (iii) (e), (iii) (f) तथा (iii) (g) लागू नहीं हैं।

3. हमारे विचार में तथा हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों के क्रय से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है। तथापि, (ए) रूपये 38.10 लाख (संदर्भ नोट नं. 12) की स्त्रोत पर कर कटौती का अधिक जमा करना (बी) 94 लाख रूपये (संदर्भ नोट सं. 14.8) की स्टांप ड्यूटी का अधिक जमा करना (सी) ठेकेदारों के साथ–साथ कंपनी द्वारा बीमे की किश्त के भुगतान को देखते हुए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की जरूरत है, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति के बाद परियोजना प्रबंधन सलाहकारों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अतिरिक्त, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार पूरे किए गए कंपनी के लेखा–जोखा के हमारे परीक्षण के आधार पर, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रमुख कमजोरियों को सुधारने में निरंतर मिल रही किसी भी असफलता का ना तो हमें संयोगवश पता लगा, ना ही हमें सूचित किया गया।

4. कंपनी के अभिलेखों के अनुसार ऐसा कोई लेन–देन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के संदर्भ में बनाए गए रजिस्टर में दर्शाने की आवश्यकता हो।

5. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए तथा 58 एए या कोई अन्य संबंधित प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी ने सामान्य जनता से कोई जमा नहीं लिया है ।

6. हमारी राय में, कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली है जिसे इसके आकार एवं इसके व्यापार की प्रक्रति के अनुरुप बनाने हेतु उसे मजबूत करने की आवश्यकता है ।

7. क) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार, हमारे विचार में, कंपनी भारत के उपयुक्त प्राधिकरणों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी देय राशि, आयकर सहित कानूनी देय राशि जमा कराने में नियमित है। हालंकि वित्तीय वर्ष 2010–11 से संबद्ध 39 लाख रूपये की स्रोत पर कर कटौती की राशि, (टीडीएस) वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कटौती किया जाने वाले टीडीएस से समायोजित कर लिया है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानो के अनुसार समायोजित नहीं की जा सकती है, इसलिए, आयकर अधिनियम 1961 के संबद्ध प्रावधानों के तहत ब्याज और जुर्माना अदा करने का उत्तरदायित्व कंपनी का है जिसके प्रभाव का पता नहीं लगाया है। अतः हमारी राय में, चूंकि 39 लाख रूपये की निर्विवाद वैधानिक राशि देय बनने की तिथि से छः महीनों से अधिक के लिए देय रही वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर बकाया है।

   ख) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार कंपनी में बिक्रीकर, आयकर, धन कर, सेवा कर तथा उपकर की कोई देय राशि बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के तहत जमा नहीं करवाया गया।

8. हमारे विचार में 31 मार्च, 2012 को कंपनी की संचित हानि निवल मूल्य (नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत से कम है। कंपनी द्वारा उस तिथि पर समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एवं तत्काल पूववर्ती वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि उठाई है।

9. कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों से किसी तरह का ऋण नहीं लिया है तथा इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया हैं।

10. अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य सुरक्षाओं को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर किसी तरह का ऋण तथा/या अग्रिम राशि नही दी है।

11. हमारे विचार में कंपनी शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं कर रही है।

12. हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों के अलावा किसी अन्य द्वारा लिए ऋणों की गारंटी नहीं दी है।

13. हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

14. हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के तुलन पत्र के एक संपूर्ण परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि पर किसी धन की उगाई पर उसका निवेश दीर्घावधि के लिए नहीं किया गया है।

15. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार बनाए हुए रजिस्टर में शामिल पार्टियों या कंपनियों के शेयर का, प्राथमिकता के आधार पर कंपनी द्वारा आंबटन नहीं किया गया है। कंपनी, तेल उद्योग विकास बोर्ड की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है ।

16. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई प्रतिभूत डिबेंचर जारी नहीं किया गया।

17. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी धन की उगाई नहीं की गई है।

18. वर्ष के दौरान, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धातों के अनुसार पूरे किए गए लेखा खातों तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, हमारे सामने न तो कंपनी के विरूद्ध धोखाधड़ी की कोई घटना आई, न ही कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई सूचना या खबर मिली, न ही हमें प्रबंधन की ओर से इस तरह की सूचना दी गई है।

19. कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) के खंड 4(ii)(a), (ii)(b), (ii)(c), 4(viii) तथा 4(xiii) या तो लागू नहीं हैं या लेनदेन शून्य है, क्योंकि ऐसी कोई विस्तृत जानकारी/टिप्पणी सामने नहीं आई है।

कृते **रस्तोगी नारायण एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 008775 एन

ह0/–
(शान्ति नारायण)
साझेदार
एम.संख्या 087370

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2012

वार्षिक लेखे
2011-2012

31 मार्च, 2012 तक का तुलन पत्र

विवरण	नोट संख्या	31.03.2012 को राशि रूपये में	31.03.2011 को राशि रूपये में
इक्विटी एवं देनदारियां		रूपये	रूपये
शेयर धारक निधि			
(क) शेयर पूंजी	3	14,50,99,75,830	5,19,25,40,760
(ख) भंडार और अधिशेष	4	(11,67,49,848)	(9,20,25,629)
		14,39,32,25,982	**5,10,05,15,131**
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	3.3	81,12,04,370	4,42,74,35,073
गैर–मौजूदा देनदारियां			
(क) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	5	31,44,46,870	16,76,66,708
मौजूदा देनदारियां			
(क) व्यापारिक देयताऐं	6	92,16,72,095	73,97,02,922
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियां	7	72,88,79,133	5,75,16,734
(ग) लघुकालिक प्रावधान	8	1,85,42,070	2,62,32,519
		1,66,90,93,297	**82,34,52,174**
योग		**17,18,79,70,519**	**10,51,90,69,087**
परिसंपत्तियां			
गैर–मौजूदा परिसंपत्तिया			
(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
(i) वास्तविक परिसंपत्तियां	9ए	1,43,50,85,035	85,81,07,775
(ii) पूंजी वर्क–इन–प्रोग्रेस	9बी	14,88,03,33,737	9,04,09,59,867
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	10	39,12,54,415	47,98,58,333
		16,70,66,73,187	**10,37,89,25,975**
मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) नकद और नकद समकक्ष	11	8,59,53,418	74,69,709
(ख) लघुकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	39,53,43,914	13,26,73,402
		48,12,97,332	**14,01,43,111**
योग		**17,18,79,70,519**	**10,51,90,69,087**
वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त सूचना	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 008775 एन

ह0/–
(शांति नारायण)
साझेदार
एम नं. 087370

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर,2012

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(अरूण कुमार)
निदेशक–प्रभारी

ह0/–
(सुधीर भार्गव)
निदेशक

ह0/–
(एस आर हास्यागर)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
(राजन के पिल्लई)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/–
(सुधा वैंकट वरदन)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितम्बर,2012

31 मार्च 2012 तक का लाभ व हानि विवरण			
विवरण	**नोट संख्या**	**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए**
व्यय		**रूपये**	**रूपये**
(क) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	9ए	3,36,95,276	3,95,49,061
(ख) अन्य खर्चें	13	27,28,202	24,35,835
(ग)स्टांप शुल्क	13ए	93,17,435	2,52,76,234
कुल व्यय		**4,57,40,913**	**6,72,61,130**
(हानि) अप्रवाद और असाधारण मदों और करों से पूर्व		**(4,57,40,913)**	**(6,72,61,130)**
अप्रवाद मदें–स्टांप शुल्क (नोट नं. 14.7 (iv) का संदर्भ लें)		2,10,16,693	
कर व्यय			
पूर्व वर्षों से संबंधित वर्तमान कर व्यय		-	47,724
(हानि) लगातार प्रचालनों से		(2,47,24,220)	(6,72,13,406)
(हानि) वर्ष के लिए		(2,47,24,220)	(6,72,13,406)
(हानि) प्रति शेयर (10 रूपये प्रति का)	15.3		
(क) मूलभूत	15.3.ए	(0.02)	(0.13)
(ख) मिश्रित	15.3.बी	(0.02)	(0.07)
वित्तीय विवरणों की अतिरिक्त सूचना	1 से 15		

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एडं कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
एफआरएन 008775 एन

ह0/–
(शांति नारायण)
साझेदार
एम नं. 087370

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 सितम्बर,2012

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/–
(अरूण कुमार)
निदेशक– प्रभारी

ह0/–
(सुधीर भार्गव)
निदेशक

ह0/–
(एस आर हास्यागर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(राजन के पिल्लई)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह0/–
(सुधा वैंकट वरदन)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितम्बर,2012

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट	विवरण
1.	**कॉर्पोरेट जानकारी** इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड 16 जून, 2004 को आईओसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई। कंपनी के संपूर्ण शेयर ओआईडीबी तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई, 2006 को अधिगृहित कर लिए गए थे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के स्टॉक का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवालों, गोदाममालिकों, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों,ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव्स, मिश्रण, तैयारी, और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।
2.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**
2.1	**लेखांकन का आधार** वित्तीय विवरण, लेखांकन के प्रोद्धवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में निर्दिष्ट भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन मानकों के अनुसार, तैयार किए गए है।
2.2	**अनुमानो का उपयोग** वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरुप तैयार किए गए है जिसके अनुसार प्रबंधन वर्ग को प्राक्कलन तथा पूर्वानुमान लगाना होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करता है। साथ ही यह वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटन और प्रस्तुत वर्षों कें राजस्व व व्यय के प्रतिवेदित लेखों को प्रभावित करता है।
2.3	**स्थायी परिसंपत्तियां / अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां** स्थायी परिसंपत्तियां सभी स्थायी परिसंपत्तियां, कम संचित मूल्य–ह्रास पर बताई जाती हैं। लागत में खरीद मूल्य तथा उदिष्ट प्रयोग हेतु परिसंपत्तियों को चालू अवस्था तक लाने तक के अन्य सभी आरोपित खर्च शामिल है । स्थायी पटट्े और साथ ही साथ 99 वर्षो से अधिक के लिए पट्टे पर ली गई जमीन को पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन के रूप में माना गया है ।99 वर्षों या इससे कम के लिए पटट्े पर ली गई जमीन को पटट्ाधृत जमीन माना गया है । अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां मानी जाती हैं यदि : - यह संभावना हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, कंपनी को प्राप्त होंगे। और - परिसंपत्तियों की लागत / उचित मूल्य विश्वसनीय रुप से आंका जा सकता है।

नोट	विवरण
2.4	**मूल्य–ह्रास और ऋण मुक्ति**
	मूल्य–ह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि XIV में उल्लिखित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
	जमीन की लागत पटटे् की शेष अवधि में परिशोधित की जाती है।
2.5	**राजस्व मान्यता : निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आंवटन और खर्चों का संविभाजन :**
i)	स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वस के लिए परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और कंपनी ने अभी व्यावसायिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखा मानक 26 का अनुपालन करने के लिए लाभ तथा हानि के लेखे तैयार किए गए हैं। लेखा मानक 10 के अनुसार, जो स्थाई परिसंपत्तियों से संबधित है, परियोजना पर जो खर्च आरोपित नहीं है, लाभ तथा हानि खाते में परिवर्तित कर दिए हैं।
ii)	परियोजना विकास, संभाव्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का शुल्क, परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क, भूमि अधिग्रहण व्यय, ठेकेदारों को किए गए भुगतान (भूमिगत/भूमि के ऊपर), विज्ञापन खर्चे, बीमा किस्तें, भूमिगत कार्यो के लिए सप्लाई किए गए डीजल की कीमत आदि खर्चे 'निमार्ण कार्यप्रगति पर है' के रूप में दिखाए गए हैं।
iii)	अप्रत्यक्ष/प्रासंगिक खर्चे (प्रधान कार्यालय के खर्चों सहित) सभी तीनों परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्यक्ष खर्च के अनुपात में बांटे गए हैं ।
iv)	बीमा दावों का हिसाब, दावे के निपदान के समय किया जाता है।
2.6	**प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय**
	कंपनी प्रावधान तब करती है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरुप वर्तमान में दायित्व हो तथा ऐसे दायित्वों से निपटने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन होगा, ऐसी अधिक संभावना हो तथा ऐसे दायित्वों का मूल्य विश्वसनीय रुप से आंका जा सके। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट नहीं दी जाती है तथा वर्ष के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर दायित्व की राशि निर्धारित की जाती है। प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इनका पुनर्वलोकन किया जाता है तथा प्रबंधन के अच्छे अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।
	आकस्मिक देयताओं का खुलासा संभव दायित्वों के लिए किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उद्‌गत हुईं हैं तथा जिनके होने की पुष्टि भविष्य की घटनाओं। जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगीं, के घटित होने या ना होने पर होगी। आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना ना हो या जहां दायित्वों का विश्वसनीय रुप से मूल्यांकन न किया जा सकता हो। जब कंपनी में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प हो तब संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व होनेपर कोई भी प्रकटन या प्रावधान नहीं किए जाते।
2.7	**परिसंपत्तियों की क्षति**
	प्रबंधक वर्ग समय-समय पर बाहय तथा आंतरिक स्त्रोतों के जरिए आकलन करता रहता है कि क्या वहाँ किसी परिसंपत्ति के क्षति ग्रस्त होने के संकेत हैं। क्षति वहीं होती है जहाँ अग्रेनित मूल्य भविष्य नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग तथा उसकी संभावित बिक्री से उत्पन्न होते है। जब रखाव मूल्य परिसंपत्ति के उच्च बिक्री मूल्य तथा वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है तब क्षतिगत हानि का व्यय के रूप में निर्धारण होता है और यदि वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण में लगाए गए अनुमान में अंतर होता है तो क्षतिगत हानि को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षतिगत हानि केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती है जब परिसंपत्ति रखाव लागत, रखाव राशि को जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास तथा परिशोधन घटाकर की जाती है, को पार नहीं करती, यदि कोई क्षतिगत हानि नहीं मानी गई है।

नोट	विवरण
2.8	**पट्टे** प्रचालन पट्टे (ऑपरेटिंग लीज़) ऐसी पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक जोखिम तथा प्रतिफल काफी हद तक पट्टे पर देने वाले के अधिकृत कर दिये जाते हैं, प्रचालन पट्टे माने जाते हैं। प्रचालन पट्टा व्यवस्था के अधीन पट्टा भुगतान, पट्टा अवधि पर एक "स्ट्रेट लाइन" के आधार पर 'निर्माण कार्य में प्रगति' शीर्ष के अधीन खर्च के रूप में देखा जाता है।
2.9	**कर्मचारी हित** आज की तारीख में कंपनी के वेतन पत्रक पर कोई कर्मचारी नहीं था। और इस समय कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संभाला हुआ है। इसलिए "कर्मचारी हित" पर लेखांकन मानक–15 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
2.10	**विदेशी मुद्रा व्यवहार तथा अनुवाद** विदेशी मुद्रा में लेन–देन, लेन–देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर पर रेकॉर्ड किए गए हैं । विदेशी मुद्रा में अभिदानित और तुलनपत्र तिथियों में बकाया मुद्रा मद तुलनपत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में अनुवादित किए जातें हैं। विदेशी विनिमय व्यवहार पर विनिमय अंतर को, स्थायी परिसंम्पत्तियों से संबंधित विनिमय अंतर के अलावा, समुचित मान्यता प्राप्त है । स्थायी परिसंम्पत्तियों के अधिग्रहण से उद्‌गत व्यय के भुगतान की तिथि पर हुए विनिमय उतार–चढ़ाव से किसी प्रकार की लाभ/हानि को ऐसी स्थाई परिसंपत्तियों के अग्रेनित लागत में समायोजित माना जाता है।
2.11	**आय पर कर** आयकर में वर्तमान कर और आस्थगत कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं, विवकेशील विचार के अधीन, अवधि अंतर के भविष्य कर परिणामों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर की दर से आंकी जाती हैं। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति को नहीं माना है।
2.12	**प्रतिशेयर अर्जन** प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन, अवधि के दौरान बकाए इक्विटी शेयर की संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि से भाग करके किया जाता है । तनूकृत अर्जन प्रति शेयर के परिकलन के उद्देश्य के लिए, अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि तथा बकाया शेयरों की संख्या को सभी तनूकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावां हेतु समायोजित किया जाएगा ।

नोट 3 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	शेयरों की संख्या	रूपये	शेयरों की संख्या	रूपये
(क) 10 रूपये के प्राधिकृत इक्विटी शेयर	2,39,70,00,000	23,97,00,00,000	2,39,70,00,000	23,97,00,00,000
(ख) 10 रूपये के निर्गत/अभिदत्त/ प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,45,09,97,583	14,50,99,75,830	51,92,54,076	5,19,25,40,760
योग	**1,45,09,97,583**	**14,50,99,75,830**	**51,92,54,076**	**5,19,25,40,760**

नोट 3.1 समीक्षाधीन अवधि के आरंभ में और अंत में शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का मिलान

विवरण			
विवरण	प्रारंभिक बकाया	वर्ष के दौरान नए जारी	समाप्ति पर बकाया
इक्विटी शेयर			
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	51,92,54,076	93,17,43,507	1,45,09,97,583
– रकम (रूपये)	5,19,25,40,760	9,31,74,35,070	14,50,99,75,830
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष			
– शेयरों की संख्या	34,12,43,476	17,80,10,600	51,92,54,076
– रकम (रूपये)	3,41,24,34,760	1,78,01,06,000	5,19,25,40,760

नोट 3.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रोके रखे हुए शेयरों का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	रोके रखे शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में रोके रखे शेयरों का %	रोके रखे शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में रोके रखे शेयरों का %
इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड नई दिल्ली और उसके नामित सदस्य	1,45,09,97,583	100%	51,92,54,076	100%

नोट 3.3 शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन

31 मार्च, 2012 को, दिनांक 31.3.2012, तक ओआईडीबी से प्राप्त राशि में से, रू. 81,12,04,370 रूपये के इक्विटी शेयर अभी भी आंवटित किए जाने थे और 'शेयर अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन' के अधीन दिखाया गया है। कंपनी के पास इन शेयरों के आवंटन के आवरण के लिए पर्याप्त प्राधिकृत पूंजी है।

नोट 4 भंडार और अधिशेष

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
(घाटा) लाभ और हानि विवरणी में प्रारंभिक बकाया	(9,20,25,629)	(2,48,12,223)
जमाः (हानि) वर्ष के लिए	(2,47,24,220)	(6,72,13,406)
योग	**(11,67,49,848)**	**(9,20,25,629)**

नोट 5 अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
ठेकेदारों से रोकी हुई राशि *	31,44,46,870	16,76,66,708
योग	**31,44,46,870**	**16,76,66,708**

*आशा है कि 31.3.2013 के बाद सभी तीनों स्थानों पर कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सुविधांए प्रारंभ (कमीशन) हो जाएंगी तथा तदनुसार दीर्घकालिक देयता के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

नोट 6 व्यापारिक देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
व्यापारिक देयताएं	92,16,72,095	73,97,02,922
योग	**92,16,72,095**	**73,97,02,922**

नोट 7 अन्य मौजूदा देनदारियां

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
अन्य देयताएं		
(i) सांविधिक विप्रेषण (रोके हुए कर, श्रम उपकर, टीडीएस एवं कार्य ठेका कर)	8,00,79,824	4,47,41,136
(ii) अन्य (रॉक निपटान के प्रति समायोज्य राशि)	2,00,00,000	-
(iii) धरोहर जमा/ईएमडी	25,68,637	5,66,417
(iv) ठेकेदारों से रोकी हुई राशि	10,77,88,172	1,22,09,181
(v) एमएसईजैडएल भूमि के लिए भुगतान	51,84,42,500	-
योग	**72,88,79,133**	**5,75,16,734**

नोट 8 लघुकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
ईएनसी भूमि किराए के लिए प्रावधान *	5	5
खर्च के लिए लेनदार	1,85,42,065	2,62,32,514
योग	**1,85,42,070**	**2,62,32,519**

* ईएनसी भूमि किराए की जरूरत से ज्यादा प्रावधान की वजह से इस साल कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

नोट 9 स्थाई परिसंपत्तियां

क.	वास्तविक परिसंपत्तियां	सकल खंड				संचित अवमूलयन				निवल खंड	
		1 अप्रैल 2011 को बकाया	वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन	31 मार्च 2012 को बकाया	1 अप्रैल 2011 को बकाया	वर्ष के दौरान अवमूल्यन/ परिशोधन खर्चे	परिसंपत्तियों के निपटान पर विलोपन	31 मार्च 2012 को बकाया	31 मार्च 2012 को बकाया	31 मार्च 2011 को बकाया
		रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
	(क) भूमि पट्टाधृत *	89,59,21,998	61,75,42,026	70,79,092	1,50,63,84,931	3,92,57,183	3,32,34,892	-	7,24,92,075	1,43,38,92,856	85,66,64,815
	(ख) फर्नीचर व फिक्स्चर स्वामित्व में	71,610	25,370	-	96,980	47,454	5,138	-	52,592	44,388	24,156
	(ग) कार्यालय उपकरण स्वामित्व में	7,75,363	3,11,053	1,93,800	8,92,616	2,64,157	92,206	85,467	2,70,896	6,21,720	5,11,206
	(घ) कंप्यूटर स्वामित्व में	17,87,932	-	18,488	17,69,444	8,80,334	3,63,040	-	12,43,374	5,26,070	9,07,598
	योग	**89,85,56,903**	**61,78,78,449**	**72,91,380**	**1,50,91,43,971**	**4,04,49,128**	**3,36,95,276**	**85,467**	**7,40,58,937**	**1,43,50,85,035**	**85,81,07,775**
	31 मार्च, 2011 को	**68,43,86,408**	**21,46,39,818**	**4,69,323**	**89,85,56,903**	**11,65,199**	**3,95,49,061**	**2,65,132**	**4,04,49,128**	**85,81,07,775**	**68,32,21,209**

* पट्टाधृत भूमि के पट्टे विलेख अभी निष्पादित किए जाने हैं।

ख	पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। (नोट सं. 9 बी (i) का संदर्भ लें)	31 मार्च, 2012 को बकाया	31 मार्च, 2011 को बकाया
		रूपये	रूपये
	चरण–I		
	- विशाखापट्टनम गुफा परियोजना @	7,30,80,74,797	5,47,18,45,599
	- पदुर गुफा भंडारण परियोजना @	4,52,91,44,085	1,91,73,98,358
	- मंगलौर गुफा परियोजना @	3,00,13,28,487	1,65,17,15,910
	चरण–II डीएफआर	4,17,86,368	-
	योग	**14,88,03,33,737**	**9,04,09,59,867**

@ इसमें संविभाजित/प्रधान कार्यालय खर्चे शामिल हैं।

नोट 9 बी (i) : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	31.3.2012 को	31.3.2011 को
निर्माण कार्य प्रगति पर	रूपये	रूपये
इसमे अनआवंटित पूंजिगत खर्चे, सामग्री कार्यस्थल पर सामाग्री शामिल है।		
भडारण चरण–1		
विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	4,22,11,57,918	3,85,41,28,383
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	2,11,41,91,653	74,66,22,030
परियोजना प्रबंधन परामर्श	84,84,20,785	76,29,03,802
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	1,63,16,780	1,73,67,914
अन्य परियोजना व्यय	1,80,65,098	1,22,12,934
प्रधान कार्यालय व्यय	8,99,22,563	7,86,10,536
योग	**7,30,80,74,797**	**5,47,18,45,599**
पाडुर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	3,57,81,31,572	1,27,00,84,862
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	2,50,00,000	-
परियोजना प्रबंधन परामर्श	86,83,51,518	61,55,91,253
अध्ययन एवं सर्वेक्षण पाडूर	1,22,65,256	1,38,73,430
अन्य परियोजना व्यय	1,44,51,440	29,94,084
प्रधान कार्यालय व्यय	3,09,44,298	1,48,54,729
योग	**4,52,91,44,085**	**1,91,73,98,358**
मैंगलोर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	2,19,40,89,996	1,10,32,14,586
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	6,93,23,883	-
परियोजना प्रबंधन परामर्श	69,40,57,258	51,32,81,017
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	1,35,58,986	1,49,63,137
अन्य परियोजना व्यय	63,02,645	45,75,693
प्रधान कार्यालय व्यय	2,39,95,719	1,56,81,478
योग	**3,00,13,28,487**	**1,65,17,15,910**
भंडारण चरण–II		
परियोजना प्रबंधन परामर्श	3,11,72,400	-
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	60,85,487	-
अन्य परियोजना व्यय	45,28,481	-
योग	**4,17,86,368**	**-**
पूरा निर्माण कार्य प्रगति पर है	**14,88,03,33,737**	**9,04,09,59,867**

नोट 10 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
धरोहर जमा	1,04,77,644	1,03,97,644
सरकारी प्राधिकारियों के पास बकाया – सेनवेट–क्रेडिट प्राप्य #	38,07,76,771	46,94,60,689
योग	**39,12,54,415**	**47,98,58,333**

नोट सं. 14.11 का संदर्भ लें।

नोट 11 रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
हस्तगत रोकड़ा	19,926	15,783
बैंको के पास बकाया (ऑटोस्वीप चालू खाता)	8,59,33,492	74,53,926
योग	**8,59,53,418**	**74,69,709**

नोट 12 लघुकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
पूर्वदत्त व्यय – असुरक्षित अच्छा माना गया	43,70,327	47,33,657
अन्य ऋण और अग्रिम – असुरक्षित अच्छा माना गया		
टीडीएस प्राप्य *	44,78,134	41,012
नकद या अन्य प्रकार से वापस मिलने वाला अग्रिम	1,77,953	65,24,912
आरओयू प्राप्ति और डीज़ल आपूर्ति के लिए अग्रिम	2,07,86,367	99,73,822
लामबंदी अग्रिम	32,18,49,840	-
पडूर भूमि हेतु अग्रिम	3,42,21,270	11,14,00,000
शेयरों पर स्टांप शुल्क हेतु अग्रिम	94,60,024	-
योग	**39,53,43,914**	**13,26,73,402**

* रूपये 38,10,397 का मिलने वाला टीडीएस अधिक भुगतान किए गए टीडीएस के प्रति है। वापसी दावा आय कर टीडीएस अथॉरिटी को संशोधित रिटर्न के रूप में दर्ज कर दिया गया है।

नोट 13 अन्य खर्चे

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये	रूपये
कानूनी और पेशेवर शुल्क	3,41,583	78,250
लेखा परीक्षकों को भुगतान उपर्युक्त नोट (i) का संदर्भ लें	2,95,385	1,84,750
बट्टे खाते में डाली गई स्थायी परिसंपत्तियां	80,785	1,60,682
कार्यालयी खर्चे	20,10,449	20,12,153
योग	**27,28,202**	**24,35,835**

नोट 13 (i) : लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये	रूपये
लेखा परीक्षकों के भुगतान में समाविष्ट		
लेखा परीक्षकों के रूप में – सांविधिक लेखा परीक्षा	1,68,540	1,65,450
अन्य सेवाओं के लिए	1,26,845	-
खर्चों की अदायगी	-	19,300
योग	**2,95,385**	**1,84,750**

नोट 13 ए स्टॉप शुल्क खर्चे

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
	रूपये	रूपये
जारी किए गए शेयरों पर स्टॉप शुल्क	93,17,435	-
पटटे पर ली गई भूमि पर स्टॉप शुल्क	-	2,52,76,234
योग	**93,17,435**	**2,52,76,234**

नोट 14 वित्तीय विवरणों के बारे में अतिरिक्त सूचना

14.1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई, की हद तक)

विवरण	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2011 को
	रूपये	रूपये
i) आकस्मिक देयताएं * ग्रीन बेल्ट/विकास और सीएसटी अदायगी हेतु दायित्व शामिल है	6,11,00,000	81,37,00,000
ii) पूंजी प्रतिबद्धताएं		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई, बकाया चल रहे सभी मुख्य ठेकों की अनुमानित राशि	14,93,97,00,000	15,26,79,00,000

iii) जून, 2011 में, अर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने रूपये 6,71,83,00,000 की अनुमनित लागत के प्रति (सितंबर 2005 के मूल्यों पर) विशाखापट्टनम परियोजना के लिए रूपये 10,38,00,00,000 की संशोधित अनुमानित लागत अनुमोदित की थी। लागत में वृद्धि, विनिमय दर विभिन्नताएं, क्षमता में बढ़ोतरी, विशाखापट्टनम की साइट की स्थिति और तकनीकी सुधारों का ख्याल रखने के लिए किए गए परिवर्धन/विलोपन सांविधिक करों में वृद्धि, मालिकों की लागत अदि के कारण लागत में संशोधन किया गया। परन्तु इसमें सुरक्षा प्रबंधों के खर्चे शामिल नहीं है।

14.2 विदेशी मुद्रा में खर्च भारतीय मुद्रा के बराबर

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
	रू.	रू.
अन्य मामले (विदेश यात्रा)	11,04,450	29,26,730
अन्य मामले (मैंगलोर में भूमिगत ठेकेदार, मैसर्ज एसकेईएंडसी–केसीटी जेवी, को यूएस डॉलर में किए गए भुगतान)	शून्य	25,28,76,315

14.3 विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
	रू.	रू.
आय	शून्य	शून्य

14.4 निर्माण की अनुमानित लागत

i) निर्माण की अनुमानित लागत निर्धारण निर्माण पूरा होने तक परियोजना पर पूरे समय के दौरान किए जाने वाले सभांवित भूमिगत सिविल कार्य, भूमि के ऊपर प्रक्रियां सुविधाएं, पाईपलाईन कार्य अदि के लिए हस्ताक्षरित ठेके पर आधारित है जिसमें भूमि की कीमत, सामग्री, सेवाएं और अन्य संबंद्ध ओवरहेड्स शामिल है।

ii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2012 को विशाखापट्टनम, मंगलोर और पाडूर परियोजनाओं पर फेस 1 के लिए निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं। तुलन पत्र की तिथि तक खर्च किए गए प्रत्यक्ष लागत और आबंटन लागत 'निर्माण कार्य प्रगति पर' के अधीन दिखाई गई है । वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए खर्चे, जो परियोजनाओं के लिए आरोपित नहीं है, लाभ व हानि लेखा में लिए गए है।

iii) तुलन पत्र की तिथि अर्थात 31 मार्च, 2012 को राजकोट (2.5 एमएमटी), पाडूर (5 एमएमटी), चंडीखोल (2.5 एमएमटी) और बीकानेर (2.5 एमएमटी) मे चार स्थानों पर 12.5 एमएमटी क्षमता फेस II की परियोजनाओं की विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी प्रगति पर थी।

14.5 i) कर्नाटक सरकार के खान और भू–विज्ञान विभाग ने पाडूर एवं मंगलोर परियोजनाओं के नियमों के अनुसार विभाग को प्रभुत्व शुल्क/रायल्टी का भुगतान करने के बाद उपयुक्त विक्रेताओं को खुदाई सामग्री को बेचने की कंपनी को अनुमति दी थी।

ii) वर्ष के दौरान, कंपनी को बताया गया कि रॉक मलबे को हटाने के लिए खान और भूविज्ञान विभाग से उत्खनन लाईसेंस लेना जरूरी है। तदनुसार , खान और भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक सरकार से उत्खनन लाईसेंस प्राप्त कर लिया गया है। एनआईटी के आधार पर पादुर के दो स्थानों से रॉक हटाने का कार्य अवार्ड कर दिया गया है।

iii) मंगलोर में, एक बोलीदाता द्वारा दाखिल रिट याचिका पर माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया था। जिसमें कहा गया कि उन्हें कंपनी की मंगलोर साइट से रॉक को हटाने के लिए मंगलोर विशेष आर्थिक जोन द्वारा अनुमति दी गई है। कंपनी ने इस आदेश के विरूद्ध, जो लंबित था, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी। इसी बीच, कंपनी नें एमएसईजैड के साथ रॉक मलबे को बराबर हिस्सा करने के बारे में करार किया। परिणामस्वरूप, कंपनी ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दाखिल अपील दिनांक 30 अगस्त, 2012 को वापिस ले ली।

14.6 विशाखापट्टनम परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथि अक्टूबर 2012 तक बढ़ा दी गई है। दिनांक 7 अप्रेल 2011 को विशाखापट्टनम गुफा ए 1 में रॉक गिरने की दुर्घटना हुई थी साइट पर मरम्मत/ बहाली और मज़बूत बनाने की गतिविधियों पर रूपये 10,36,00,000 की अतिरिक्त राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। रूपयें 12,77,00,000 का अतिरिक्त राशि का बीमा दावा दर्ज किया जा चुका है और दावे के प्रति बीमा कंपनी से रूपये 4,50,00,000, की तदर्थ राशि प्राप्त हो गई है। बीमा कंपनी से ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त वर्ष

के खातों में स्वीकार कर लिया जाएगा। मरम्मत और कार्य की बहाली के लिए वर्ष के दौरान किए गए खर्च की राशि सीडब्ल्यूआईपी में शामिल की गई है और कार्य प्रगति पर है। गुफाओं में देखी गई और भूवैज्ञानिक विविधताओं के कारण, उसके बाद कार्य रोक दिया गया है।

14.7 i) विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से ली गई 38 एकड़ भूमि में से कंपनी ने दिनांक 23.5.2011 के अपने पत्र के माध्यम से 1 एकड़ व्यर्थ पट्टाधृत भूमि वापिस कर दी है। कंपनी द्वारा वापिस की गई भूमि को वीपीटी ने स्वीकार कर लिया है। वीपीटी द्वारा ली गई 1 एकड़ की भूमि के लिए अनुपातिक पट्टा प्रीमियम के आधार पर रूपये 70,79,092 कंपनी के खाते में प्राप्य दर्शाए गए है।

ii) मंगलौर परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि मंगलौर विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड (एमएसईजैडएल) से प्राप्त कर ली है। 31.03.2012 तक भूमि की अस्थायी कीमत के प्रति एमएसईजैडएल को 50,00,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से 41,31,00,000 रूपयों का भुगतान कर दिया है और किताबों में इतने ही रूपये कैपिटलाइज कर दिए हैं। जून, 2012 में बोर्ड ने 1,25,00,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रभार्य भूमि की 71.7234 एकड़ के लिए बकाया भूमि कीमत प्रदान करने हेतु अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार, जून/जुलाई 2012 में बकाया भूमि कीमत के प्रति एमएसईजैडएल को 48,34,42,500 रूपये की राशि अदा कर दी है और 31 मार्च, 2012 को कैपिटलाईज भी कर दी है और लीज की बकाया अवधि के लिए अमोरटाइज्ड कर दिया है।

iii) कंपनी के पादुर परियोजना के लिए एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) को 32,52,11,500 रूपये जमा कराए थे जिसे पूर्व वर्ष के अग्रिम के रुप में लिया गया था। केआईएडीबी ने 138.57 एकड़ भूमि पहले ही सौंप दी है। जिसे केआईएडीबी द्वारा इंगित 21,00,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर 29,43,80,958 रुपये की लागत पर कैपिटलाइज किया गया है। (इसमें विस्थापित परिवारों को दी गई राहत और पुनर्वास सहायता को शामिल करते हुए) 3,08,30,542 रुपये की बकाया राशि को केआईएडीबी से अभी भी अर्जित बकाया भूमि के प्रति अग्रिम के रुप में माना जाए, जारी रखा गया है जिसे परियोजन के लिए पर्याप्त माना गया है ।

iv) कंपनी ने सभी तीनो परियोजनाओं में भूमि का अमोरटाइजेशन वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ कर दिया है। वर्ष के दौरान, भूमि से सबंद्ध रूपये 2,10,16,693 की रकम का स्टांप डयूटी खर्चे के रूप में प्रावधान किया है। जो पूर्व में पीएंडएल एकाउन्ट में बुक किया गया था जिसमें से 1,99,91,158 रूपये कैपिटलाइज हो गए है और बकाया प्रावधान के प्रति समायोजित किए गए है।

14.8 शेयर प्रमाण पत्रों पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, 2011–12 के दौरान समस्त प्राधिकृत शेयर पूंजी पर कुल रूपये 2,39,70,000 का भुगतान किया गया। जारी/आबंटित किये जाने वाले बकाया शेयरों पर रूपये 94,60,024 का स्टांप शुल्क का तदनुसार, "ऐडवांस में स्टांप शुल्क का भुगतान" के रूप में दिखाया गया है।

14.9 31.3.2012 को दिखाई गई शेयर पूंजी में मई 2010 में आवंटित 1,78,01,06,000 रूपये और मई 2011 में आवंटित 4,79,30,63,240 रूपये शामिल हैं उपर्युक्त आवंटन के शेयर प्रमाण पत्र आवंटन की तिथि से 90 दिनों के भीतर जारी हो जाने चाहिए क्योंकि स्टांप शुल्क के भुगतान करने का निर्णय बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2011 के बाद लिया गया था। बोर्ड अनुमोदन के अनुसार, समस्त प्राधिकृत पूंजी पर स्टांप शुल्क का भुगतान अक्टूबर 2011 में किया गया था। और उक्त दोनो आवंटनों के शेयर प्रमाण पत्र नवम्बर 2011 में जारी किए गए हैं। आवंटन के 90 दिनों के बाद शेयर प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को माफी के लिए अप्रेल 2012 में कंपनी लॉ बोर्ड के साथ एक स्वैच्छिक याचिका दायर की गई है जो अभी भी लंबित है।

14.10 दिसंबर 2011 को समाप्त तिमाही की बोर्ड की बैठक जो दिसंबर 2011 में होनी प्रस्तावित थी, दिसंबर 2011 में नहीं की जा सकी और 5.1.2012 को (पूर्व बैठक से 120 दिनों के भीतर) आयोजित की गई।

14.11 भारत में विभिन्न स्थानों पर विकसित सुविधाओं में कंपनी कच्चे तेल के लिए वेयरहाउसींग सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी 2011 में सेवा कर प्राधिकरण में पंजीकृत की गई और इसलिए सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है। एक प्रमुख सलाहकार की राय के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने रुपये 46,94,60,688 की सेनवेट क्रेडिट रकम (31 मार्च 2010 तक रूपये 24,99,00,000 को मिलाकर) क्रेडिट की थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने दिनांक 31.3.2012 को रुपये 38,07,76,770 की सेनवेट क्रेडिट योग्य रकम पुनः परिकलित की और खातों में दर्ज किया और रूपये 8,38,51,588 की सेनवेट क्रेडिट रकम को खातों में रिर्वस किया। लेखा बहियों के साथ मिलान करके सेवा कर रिटर्न संशोधित

की जानी बाकी हैं। दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना संख्या 3/2011 के बाद कंपनी ने परियोजनाओं की स्थापना के लिए निर्माण गतिविधियों हेतु सेनवेट क्रेडिट दावा करना बंद कर दिया।

14.12 दिनांक 1.3.2011 की अधिसूचना संख्या 3/2011 के बाद कंपनी ने परियोजनाओं की स्थापना के लिए निर्माण गतिविधियों हेतु सेनवेट क्रेडिट दावा करना बंद कर दिया।

14.13 मैंगलोर में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) का को–डवलपर बनने का अनुमोदन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अगस्त 2010 में दिया गया। सभी अनुमोदन मंगलौर के लिए प्राप्त किए गए। पडूर में, एफटीडब्ल्यूजैड बनने का आवेदन अनुमोदनों के बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा "सिद्धांत रूप में" स्वीकार कर लिया गया है।

14.14 नोट संख्या 5, "ठेकेदारों से रोक" में, विनिर्दिष्ट रुपये 31,44,46,870 की प्रतिधारण राशि परिवर्तनीय मदों हेतु किए गए कार्य की कीमत के 5 प्रतिशत के प्रति है, जिसका भुगतान ठेकों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किया जाएगा। प्रतिधारण राशि का लेखों में देय के अनुसार प्रावधान किया गया है।

14.15 31 मार्च 2012 को कंपनी का दैनिक कार्य प्रतिनियुक्ति पर तैनात 11 कार्मिकों-एचपीसीएल (7), ओएनजीसी (2), आईओसीएल (1) और गेल(1) द्वारा संभाला गया और उनके छुट्टी– वेतन, पेंशन अंशदान की अदायगी उनके दावों की प्राप्ति पर उनकी संबंधित पेरंट कंपनियों को आनुपातिक आधार पर की जाती है ।

14.16 अन्य कंपनियों से जिसमें कोई भी निदेशक एक निदेशक अथवा सदस्य है, देय रकम सहित प्राप्त होने वाले रोकड़ अथवा प्रकार अथवा मूल्य के प्रकार वसूली योग्य अग्रिम शून्य रूपये हैं (पूर्व वर्ष – शून्य रूपये)।

14.17 i) कंपनी ने वर्ष 2010–11 के दौरान 4,44,911 रूपये की तुलना में 2011–12 के दौरान "स्वीप–इन–स्वीप आउट" लेखा में उपलब्ध बकायों से रूपये 65,42,356 का ब्याज अर्जित किया है।

ii) मूल्य ह्रास रूपये 3,36,95,276 की राशि को भी (जिसमें सभी तीनों परियोजनाओं हेतु पट्टाधृत भूमि पर अमोरटाइजेशन शामिल है) 2010–11 के दौरान रूपये 3,95,49,061 की तुलना में 2011–12 के दौरान लाभ व हानि खाता को चार्ज किया है।

14.18 आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में आयकर के लिए प्रावधान रखना आवश्यक नहीं समझा गया हैं। इसके आगे, आस्थगित कर संपत्ति भी मान्य नहीं की गई क्योंकि ठोस सबूत के साथ कोई आभासी निश्चितता नहीं है जिससे पर्याप्त भविष्य की आय उपलब्ध होगी जिसे आस्थगित कर संपत्ति में समायोजित किया जा सके।

14.19 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय शून्य निर्धारित किया गया है और "सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के मामले में ऐसी पार्टियों की इस हद तक पहचान की गई है जो 2 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है। कंपनी ने ऐसे उद्यमों/सप्लायर्स को लिखा है और उनके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम होने के बारे में उनके सप्लायर्स से अभी तक कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के सप्लायर्स प्रोफाईलों को देखने से इस मामले में देयता शून्य/नगण्य है।

14.20 लघु औद्योगिक उपक्रमों को दी जाने वाली देय राशि कुछ भी नहीं है। ठेकेदारों/सेवा प्रदान करने वालों के खातें, चाहें डेबिट हो अथवा क्रेडिट, पुष्टि, समाधान और उनके परिणामी समायोजन, यदि कोई हैं, का विषय है।

14.21 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अधीन कंपनी ने निम्नलिखित ऑडिट समिति गठित की हैः

श्री सुधीर भार्गव, अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राक्तिक गैस मंत्रालय	---	अध्यक्ष
श्री एल एन गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	---	सदस्य
श्री अरूण कुमार, सचिव, ओआईडीबी	---	सदस्य

14.22 ठेकेदारों के बकाए पुष्टि के अधीन हैं।

14.23 वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए संशोधित अनुसूची VI, 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी है। इससे वित्तीय विवरणों में बनाए गए प्रकटीकरण और प्रस्तुती महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। पूर्व वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, फिर से समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट 15 : लेखांकन मानकों के तहत खुलासे

नोट	विवरण			
15.1 15.1ए	**संबंधित पार्टी लेनदेन** **संबंधित पार्टी के ब्यौरे :**			
	रिश्ते का वर्णन	**संबधित पार्टियों के नाम**		
	होल्डिंग संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) नें कंपनी में 100% इक्विटी होल्ड की है।		
	प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	श्री राजन के. पिल्लई, सीईओ। सीईओ को कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अधीन आईएसपीआरएल के दैनिक प्रबंधन कार्य सौंपे गए है। इन्हें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। सीईओ बोर्ड के सदस्य नहीं है। **निदेशक मंडल (पदेन)** श्री एस सुन्दरेशन, अध्यक्ष (2 मई, 2011 तक) श्री जी सी चतुर्वेदी, अध्यक्ष (11 मई, 2011 से) श्री सुधीर भार्गव, निदेशक श्री सुभाष खुंटिया, निदेशक (9.8.2012 से) श्री अरूण कुमार, निदेशक प्रभारी श्री एल एन गुप्ता, निदेशक		
15.1.बी	**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान संबधित पार्टी लेनदेन और 31 मार्च, 2012 को शेष बकाया**			
	विवरण	**होल्डिंग संगठन (ओआईडीबी)**	**केएमपी (सीईओ)**	**योग**
		रूपये	**रूपये**	**रूपये**
	वित्त (ऋण और नकद या प्रकार में इक्विटी योगदान)	81,30,08,737 (4,43,18,06,902)		81,30,08,737 (4,43,18,06,902)
	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति शामिल करते हुए प्रबंधन ठेके		35,59,252 (32,00,000)	35,59,252 (32,00,000)
	नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष के हैं।			
15.1.सी	**बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड के निदेशकों का परिश्रमिक शून्य है। (पूर्व वर्ष – शून्य)**			

15.1.डी	**संबधित पार्टियों का शेष बकाया/लेनदेन**				
	विवरण	**तेल उद्योग विकास बोर्ड**		**हिंन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.***	
		31.03.2012 को समाप्त वर्ष (रू.)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (रू.)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (रू.)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (रू.)
	i) वर्ष के दौरान लेनदेन				
	कंपनी की ओर से किए गए खर्चे	18,04,367	43,71,829	1,27,72,143	1,11,55,710
	ii) वर्ष के अंत में बकाया	81,12,04,370	4,42,74,35,073	73,15,248	29,24,591
	योग	**81,30,08,737**	**4,43,18,06,902**	**2,00,87,391**	**1,40,80,301**
	* केएमपी (सीईओ) और एचपीसीएल से प्रतिनियुक्ति पर आए अन्य कर्मचारियों के वेतन हेतु एचपीसीएल को अदायगी की जाए।				

विवरण	**31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए**
	रूपये	**रूपये**
15.2 प्रति शेयर आय		
15.2 ए मूलभूत		
(हानि) वर्ष में इक्विटी शेयरधारकों को होने वाली	(2,47,24,220)	(6,72,13,406)
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	1,45,09,97,583	51,92,54,076
सम मूल्य प्रति शेयर	10	10
नियमित प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – मूलभूत	(0.02)	(0.13)
15.2 बी मिश्रित		
(हानि) वर्ष में इक्विटी शेयर धारकों होने वाली	(2,47,24,220)	(6,72,13,406)
बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या – मिश्रित हेतु	1,53,21,18,020	96,19,97,583
सम मूल्य प्रति शेयर	10	10
नियमित प्रचालनों से प्रति शेयर हानि – मिश्रित	(0.02)	(0.07)

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए	
	रूपये	रूपये	रूपये	रूपये
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
(हानि) असाधरण मदें और कर से पूर्वः	(2,47,24,220)		(6,72,13,406)	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्य ह्रास और अमोरटाइजेशन	3,36,09,809		3,92,83,929	
वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियां डब्लयू/ओ	72,91,380		4,69,323	
वर्तमान देयताओं में वृद्धि	99,24,21,285		33,56,51,320	
कार्य पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन (हानि)		1,00,85,98,254		30,81,91,166
निवल नकद (प्रयोग में) प्रचालन गतिविधियां (ए)		**1,00,85,98,254**		**30,81,91,166**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	(61,78,78,449)		(21,46,39,818)	
पूंजी कार्य प्रगति पर में वृद्धि	(5,83,93,73,870)		(4,22,94,32,046)	
तीसरी पार्टियों को दिए गए अग्रिम/लोन	(17,40,66,595)		(28,17,51,915)	
		(6,63,13,18,913)		(4,72,58,23,779)
निवल नकद (प्रयोग में) निवेश गतिविधियां (बी)		**(6,63,13,18,913)**		**(4,72,58,23,779)**
सी. वित्तीय गतिविधयों से नकद प्रवाह				
इक्विटी शेयरों की जारी होने से प्राप्ति	5,70,12,04,367		4,42,35,41,829	
		5,70,12,04,367		4,42,35,41,829
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (सी)		**5,70,12,04,367**		**4,42,35,41,829**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए+बी+सी)		7,84,83,708		59,09,216
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी के समतुल्य		74,69,710		15,60,494
वर्ष के अंत में नकदी और नकद के समतुल्य		**8,59,53,418**		**74,69,710**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते रस्तोगी नारायण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
एफआरएन 008775 एन

(शांति नारायण)
साझेदार
एम नं. 087370

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 सितम्बर,2012

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी और से

(अरूण कुमार)
निदेशक–प्रभारी

(सुधीर भार्गव)
निदेशक

(एस आर हस्यागर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(राजन के पिल्लई)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(सुधा वैंकट वरदन)
कंपनी सचिव

सीनः नई दिल्ली
दिनांकः20 सितम्बर,2012

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढ़ांचे के अनुसार इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, उनके प्रोफेशनल बॉडी भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से आडिट पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। ये कार्य दिनांक 25 सितंबर, 2012 की उनकी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की ओर से, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय बयानों का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत एक अनुपूरक लेखा परीक्षण किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रुप से सांविधिक लेखा परीक्षण के वर्किंग पेपरों के उपयोग के बगैर किया गया है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कार्मियों की पूछताछ व लेखाकरण अभिलेखों के कुछ चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत मेरे संज्ञान में आए निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करना चाहती हूं जो मेरे विचार से इन वित्तीय विवरणियों और उससे संबधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिए आवश्यक है :

लाभप्रदता पर टिप्पणी

तुलन पत्र

परिसंपत्तियां

गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां

(ए) अचल परिसंपत्तियां

(i) वास्तविक परिसंपत्तियां (नोट 9ए)

पट्टाधृत भूमिः रूपये 143.39 करोड़

पट्टाधृत भूमि की उक्त राशि में रूपये 3.43 करोड़ *(रूपये 3.50 करोड़ में से रूपये 0.07 करोड़ घटाकरः चुकाए गए ऋण की राशि अमोरटाइज्ड एमाउंट)* की वह राशि भी शामिल हैं जो मंगलौर एसईजैड लि. की बाउंड्री से बाहर स्थित आईएसपीआरएल वाल्व स्टेशन के लिए रास्ता बनाने के लिए 2–लेन बाई पास सड़क की रि–रूटिंग पर खर्च की गई और जो कंपनी की संपत्ति नहीं है। इसे पूंजी में परिणत करने की बजाय रिवन्यू हैड के अंदर लिया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों की कीमत में रूपये 3.43 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है और इतनी ही राशि की हानि घट गई है।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

ह0/–
(नयना ए कुमार)
वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 09.11.2012

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आईएसपीआरएल के खातों पर सी एंड ए जी की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर

सी एंड ए जी की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
तुलन पत्र **परिसंपत्तियां** **गैर–मौजूदा परिसंपत्तियां** **(ए) अचल परिसंपत्तियां** **(i) वास्तविक परिसंपत्तियां (नोट 9ए)** **पट्टाधृत भूमिः रूपये 143.39 करोड़** पट्टाधृत भूमि की उक्त राशि में रूपये 3.43 करोड़ (रूपये 3.50 करोड़ में से रूपये 0.07 करोड़ घटाकरः अमोरटाइज्ड रकम) की वह राशि भी शामिल हैं जो मंगलौर एसईजैड लि. की बाउंड्री से बाहर स्थित आईएसपीआरएल वाल्व स्टेशन के लिए रास्ता बनाने के लिए 2–लेन बाई पास सड़क की रि–रूटिंग पर खर्च की गई और जो कंपनी की संपत्ति नहीं है। इसे पूंजी में परिणत करने की बजाय 'रिवन्यू' हैड में लिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, परिसंपत्तियों की कीमत में रूपये 3.43 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है और इतनी ही राशि की हानि घट गई है।	रिवन्यू खर्चे के रूप में रूपये 3.43 करोड़ का खर्चा चार्ज ऑफ करना उचित नहीं हैं क्योंकि परियोजना अभी भी प्रगति पर है और इसलिए, पूरा खर्चा पूंजीगत खर्चे के रूप में माना गया है। इसके आगे, आईएसपीआरएल ने अपनी संपत्ति के रूप में सड़क को कैपिटलाइज नहीं किया है, लेकिन भूमि की कुल लागत के हिस्से के रूप में, प्रयोग योग्य भूमि बनाने के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबद्ध सीधे ही यह आवश्यक खर्चा शामिल किया है जिसमें आरएंडआर कीमत आदि जैसी अन्य लागत शामिल हैं। अतः वित्तीय विवरण के अनुसार लेखांकन सही है।